भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

मौखिक प्रश्न सं. 132

गुरूवार, 11 दिसम्बर, 2025/20 अग्रहायण, 1947 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

आंध्र प्रदेश में गोवा की तर्ज पर समुद्र तट का विकास

132 श्री मस्तान राव यादव बीडा:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आंध्र प्रदेश के तटीय गलियारों में गोवा की तर्ज पर एकीकृत समुद्र तटीय पर्यटन स्थलों को विकसित करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हाँ, तो स्वदेश दर्शन 2.0 या अन्य योजनाओं के तहत विकसित किए जाने वाले प्रस्तावित बुनियादी ढाँचे जैसे समुद्र तट शैक, जल क्रीड़ा, क्रूज जेटी, तटीय रिसॉर्ट, नाइटलाइफ़ ज़ोन, सुरक्षा और जीवन रक्षक प्रणालियाँ और ब्लू फ्लैग मानकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय ने गोवा के पर्यटन मॉडल के अनुरूप आंध्र प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय मानक वाले समुद्र तटीय पर्यटन क्लस्टर बनाने के लिए कोई व्यवहार्यता अध्ययन किया है; और

(घ) इन परियोजनाओं को शुरू करने और पूरा करने के लिए प्रस्तावित समय-सीमा क्या है और इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

श्री मस्तान राव यादव बीडा द्वारा आंध्र प्रदेश में गोवा की तर्ज पर समुद्र तट के विकास के संबंध में दिनांक 11.12.2025 को पूछे जाने वाले राज्य सभा के मौखिक प्रश्न संख्या 132 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में **विवरण**

(क) से (घ): गंतव्य-विशिष्ट व्यवहार्यता अध्ययन के संचालन सहित पर्यटन स्थलों और उत्पादों का विकास एवं संवर्धन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है।

तथापि, पर्यटन मंत्रालय 'स्वदेश दर्शन (एसडी)', 'स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी 2.0)', 'चुनौती आधारित गंतव्य विकास (सीबीडीडी)'- एसडी 2.0 की एक उप-योजना, 'तीर्थस्थल कायाकल्प एवं आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद)' और 'पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता (एसीएटीआईडी)' नामक अपनी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों/केंद्रीय एजेंसियों को, उनसे योजना दिशानिर्देशों और सरकारी अनुदेशों के अनुरूप, विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) की प्राप्ति पर तथा निधियों की उपलब्धता आदि के अध्यधीन वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके प्रयासों को संपूरित करता है। मंत्रालय ने अपनी स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बापटला, आंध्र प्रदेश में 97.52 करोड़ रु. की 'सूर्यलंका बीच एक्सपीरियंस का विकास' नामक परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है। पर्यटन मंत्रालय ने राज्य सरकारों से 'स्वदेश दर्शन 2.0' (एसडी 2.0), 'चुनौती आधारित गंतव्य विकास' (सीबीडीडी) और 'प्रशाद' नामक योजनाओं के तहत स्वीकृत परियोजनाओं को मार्च 2026 तक पूरा करने का अनुरोध किया है। इसके अतिरिक्त, 'पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता (एसीएटीआईडी)' नामक योजना के तहत आंध्र प्रदेश में स्वीकृत परियोजनाएँ भौतिक रूप से पूर्ण हो चुकी हैं।

इसके साथ ही, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 'पूंजी निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता (एसएएससीआई)- वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित पर्यटक केंद्रों का विकास' नामक अपनी योजना के अंतर्गत देश के 23 राज्यों में 3295.76 करोड़ रुपये की राशि की 40 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के प्रतिष्ठित पर्यटक केंद्रों का व्यापक विकास और वैश्विक स्तर पर उनकी ब्रांडिंग तथा विपणन करना है। एसएएससीआई योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार परियोजनाओं का क्रियान्वयन और प्रबंधन संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है तथा परियोजनाओं को अधिकतम 2 वर्ष की अवधि के भीतर तैयार कर पूर्ण किया जाना आवश्यक है। तथापि, भारत सरकार 31 मार्च, 2026 तक इस योजना के अंतर्गत निधियां जारी करेगी।

उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं में उसकी आवश्यकतानुसार विभिन्न प्रकार के घटक जैसे पर्यटक अनुभव को बेहतर बनाना, पार्किंग, आगंतुक केंद्र, कैफेटेरिया, जन सुविधा ब्लॉक्स, संकेतक, पैदल मार्ग, निगरानी प्रणाली, सॉफ्ट घटक आदि शामिल होते हैं।

आंध्र प्रदेश राज्य में 'स्वदेश दर्शन' (एसडी), 'स्वदेश दर्शन 2.0' (एसडी 2.0), 'सीबीडीडी', 'प्रशाद', 'एसीएटीआईडी' और 'एसएएससीआई' नामक योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

*****

अनुबंध

श्री मस्तान राव यादव बीडा द्वारा आंध्र प्रदेश में गोवा की तर्ज पर समुद्र तट के विकास के संबंध में दिनांक 11.12.2025 को पूछे जाने वाले राज्य सभा के मौखिक प्रश्न संख्या 132 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में **विवरण**

(i) आंध्र प्रदेश राज्य में 'स्वदेश दर्शन' योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण:

(राशि करोड़ रु. में)

क्र.सं.	परिपथ/ स्वीकृति वर्ष	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि
1.	तटीय परिपथ 2014-15	काकीनाडा - होप द्वीप - कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य - पासरलापुडी - अडुरु - एस यानम - कोटिपल्ली का विकास	67.83
2.	तटीय परिपथ 2015-16	नेल्लोर - पुलिकट झील - उब्बलमाडुगु जल प्रपात - नेलापट्टू - कोठाकोडुरु - मायपाडु - रामतीर्थम - इस्कापल्ली का विकास	49.55
3.	बौद्ध परिपथ 2017-18	बौद्ध परिपथ: शालीहुंडम - बाविकोंडा - बोज्जनकोंडा - अमरावती - अनूपु का विकास	35.24

(ii) आंध्र प्रदेश राज्य में 'स्वदेश दर्शन 2.0' योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण:

(राशि करोड़ रु. में)

क्र.सं.	स्वीकृति वर्ष	गंतव्य	एक्सपीरियंस का नाम	स्वीकृत राशि
1.	2023-24	अरक्कू-लम्बासिंगी	अरक्कू में बोर्रा केव एक्सपीरियंस	29.88
2.	2024-25	बापटला	सूर्यलंका बीच एक्सपीरियंस का विकास	97.52

(iii) आंध्र प्रदेश राज्य में 'चुनौती आधारित गंतव्य विकास (सीबीडीडी)' योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण:

(राशि करोड़ रु. में)

क्र.सं.	स्वीकृति वर्ष	परियोजना का नाम	श्रेणी	स्वीकृत राशि
1.	2024-25	अहोबिलम - एक आध्यात्मिक यात्रा	आध्यात्मिक पर्यटन	25.00
2.	2024-25	नागार्जुन सागर में बौद्ध विरासत और सांस्कृतिक अनुभवों का संवर्धन	संस्कृति एवं विरासत	25.00

(iv) आंध्र प्रदेश राज्य में 'पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (एसएएससीआई)' योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण:

(राशि करोड़ रु. में)

क्र.सं.	स्वीकृति वर्ष	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि
1.	2024-25	गंडीकोटा में फोर्ट एवं गोर्ज एक्सपीरियंस का संवर्धन	77.91
2.	2024-25	राजा महेंद्रवरम में अखंड गोदावरी- (हेवलॉक ब्रिज और पुष्कर घाट)	94.44

(v) आंध्र प्रदेश राज्य में 'तीर्थस्थल कायाकल्प एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद)' योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण:

(राशि करोड़ रु. में)

क्र.सं.	**परियोजना का नाम**	**स्वीकृति वर्ष**	**स्वीकृत राशि**
1.	पर्यटक गंतव्य के रूप में अमरावती टाउन, गुंटूर जिले का विकास	2015-16	27.77
2.	श्रीसैलम मंदिर का विकास	2017-18	43.08
3.	विशाखापत्तनम मंदिर में सिंहाचलम में श्री वराह लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी वारी देवस्थानम	2022-23	54.04
4.	अन्नावरम मंदिर शहर में तीर्थ पर्यटन अवसंरचना का विकास	2024-25	25.33

(vi) आंध्र प्रदेश राज्य में 'पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता (एसीएटीआईडी)' योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण:

(राशि करोड़ रु. में)

क्र.सं.	**परियोजना का नाम**	**स्वीकृति वर्ष**	**स्वीकृत राशि**
1.	पुट्टपर्थी, आंध्र प्रदेश में साउड एंड लाइट शो	2017-18	7.08
2.	विशाखापत्तनम पोर्ट के बाहरी बंदरगाह में चैनल बर्थ क्षेत्र में क्रूज-कम-कोस्टल कार्गो टर्मिनल का निर्माण	2018-19	38.50
3.	तिरूपति रेलवे स्टेशन	2016-17	5.75

*****